

अलवर
राजगढ़
राजगढ़

नायब तहसीलदार
न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

पत्रावली संख्या 72 / 2022 तारीख दायर 20.9.22 दिनांक निर्णय 29-11-22

उनवान

रिपोर्ट पटवारी इ.रू. दुल्ही बनाम नारायण, श्रुती राम पुत्र लखू शीलधर
सुन्दर, 4पी जाति मीना
निवासी घोसड़ा

आज पत्रावली मु. राजगढ़ पेश हुई। गैरसायल ख/अनु. जवाब
पेश किस/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी है। अतिकमी का स. 206 / 2079 का
नया कब्जा होना साबित होता है। अतिकमी काबिल बेदखली है।


अतः आदेश है कि-

गैरसायल नारायण श्रुती राम बंश पुत्र लखू राम
जाति मीना निवासी घोसड़ा को

आराजी स्वसरा नं. 761 रकबा 0.25 हैर किस्म चारागा वाले ग्राम घोसड़ा
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 2.00 की 50 गुणा में मु.

150=00 रु. को 4 जगह कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनाथं लिखा लावें।

कसब बिलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।


नायब तहसीलदार
तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 21 प्र. नं. चो. पं. 150/-
राशि अयम किये गये।
पिछि
ल. रा. लेखाकार